न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 36/2022

उनवान

1. जसराज पुत्र काना,
2. प्रकाश,
3. सुनील,
4. संजय पुत्र काना,
5. मंजू पुत्री काना,
7. अनू पुत्री काना,
8. जुगराज,
9. रामदेव पुत्र छीतर,
10. सुशीला पुत्री छीतर समस्त जाति भाम्बी निवासीगण राजोसी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर

—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री शांति प्रकाश शर्मा

बनाम

1 भंवर पुत्र पीरू,
2. अमर अली पुत्र पीरू,
3. सुबानी उर्फ सबानी पत्नी पीरू, समस्त जाति चीता, निवासीगण— केरी की बेरी राजोसी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर,
4. राजस्थान सरकार तहसीलदार नसीराबाद,
5. उपपंजीयक नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 3 अनुपस्थित
4 व 5 जरियें राज. पैराकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 23.09.24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम राजोसी के चौसला खसरा नम्बर 289 रकबा 2—3—10 में से 1—01—10 वंर्किग खसरा नम्बर 536 रकबा 2—3—10, हाल खसरा नम्बर 708 रकबा 0.35 की आराजी वादीगण के दादा भूरा पुत्र उरजा ने दिनांक 28.08.1968 को तत्कालीन खातेदार भूरा, कल्ला, व हालू पि. लूम्बा से प्रतिफल राशि भुगतान कर क्रय की थी। भूरा, कल्ला, व हालू पि. लूम्बा को नामान्तरण संख्या 637 से जरियें नियमन प्राप्त हुयी है। आराजी मुतनाजा पर क्रय दिनांक से ही भूरा पुत्र उरजा

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:34:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

काबिज काश्त चला आ रहा है। भूरा पुत्र उरजा की मृत्यु के बाद पुत्रगण काना व छीतर तथा वादीगण का कबजा काश्ज आराजी मुतनाजा पर चला आ रहा है। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता व प्रतिवादी संख्या 3 के पिता पीरू पुत्र न्यामा के नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से दर्ज कर दी गयी। जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवकता ने उपस्थिति दी, किन्तु दौराने वाद विचारण जवाब पेश नही किया व प्रकरण में अनुपस्थित होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। राज. पैरोकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में कोई खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख, विक्रय पत्र पेश किये तथा वादी जसराज व जुगराज का शप्रथ पत्र पेश किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 708 रकबा 0.35 राजस्व अभिलेख में पीरू पुत्र न्यामा के नाम खातेदारी दर्ज है। वंर्किग जमाबंदी में वंर्किग खसरा नम्बर 536 रकबा 2–3–10 सिवायचक खातें में दर्ज था। उक्त खसरा नम्बर बदर सूची कमांक 3 के आदेशानुसार पीरू पुत्र न्यामा के नाम अंकन हुआ है। वादीगण ने आराजी मुतनाजा का विक्रय पत्र पेश किया है, जिसके अनुसार वादीगण के पूर्वज भूरा पुत्र उरजा द्वारा चौसाला खसरा नम्बर 289 मिन रकबा 1–1–10 की आराजी भूरा, कल्ला, पन्ना, हालू पि. लूम्बा, तुलच्छी पत्नी लाला, मांगू, रामा, देवा, उगमा पि. लादू से क्रय की है। किन्तु आराजी मुतनाजा विक्रेता के नाम होने की कोई जमाबंदी वादीगण द्वारा पेश नही की गयी है। नामान्तरण संख्या 637 द्वारा चौसाला खसरा नम्बर 289 मिन रकबा 1–1–10 भूरा, कल्ला, हालू पि. लूम्बा के नाम नियमन होने का अंकन है। किन्तु उक्त अराजी के नियमन के दस्तावेज वादीगण द्वारा पेश नही किये गये है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपि के फार्म के अनुसार चौसाला जमाबंदी जीर्णशीर्ण होने व बदर सूची उपलब्ध नही होने के कारण तहसील कार्यालय द्वारा प्रतिलिपि नही दी गयी है। किन्तु वादीगण द्वारा वाद के समर्थन में चौसाला खसरा नम्बर की खसरा गिरदावरी पेश की जा सकती थी। आराजी मुतनाजा बदर सूची से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पूर्वज की खातेदारी में दर्ज हुयी है। पीरू पुत्र न्यामा द्वारा आराजी मुतनाजा का बैचान वादीगण/पूर्वज को नही किया गया है। वंर्किग जमाबंदी के इन्द्राज को बंदोबस्त विभाग द्वारा हाल राजस्व अभिलेख में दर्ज किया है। वादीगण के पूर्वज द्वारा आराजी मुतनाजा जिन विक्रेता से क्रय की थी उनके नाम राजस्व अभिलेख में भूमि दर्ज नही है। आराजी मुतनाजा का इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है।

उक्तानुसार ग्राम राजोसी के हाल खसरा नम्बर 708 रकबा 0.35 की आराजी पर वादीगण का वाद "खारिज" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:34:56 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

जसराज बनाम भंवर

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 36/2022
पेश करने की दिनांक – 08.03.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक मुद्दई अभिभाषक शांति प्रकाश शर्मा व राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम राजोसी के हाल खसरा नम्बर 708 रकबा 0.35 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज" किया** जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय **सूद व शरह** तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर **अदालत** के आज दिनांक 23 माह 09 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई

मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:34:56 IST
Reason: SelfAttested